

14

प्रेषक,

जगदीश जोशी,
अनु. सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2
सागुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग।

देहरादून 29 अप्रैल, 2002

विषय: महर्षि विद्या मंदिर, खटीमा, उधम सिंह नगर, को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर गुड़ों यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि विद्या मंदिर, खटीमा, उधम सिंह नगर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिशर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था शिक्षिका एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को आशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उ0मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुगम्य सेवा निवृत्ति का लाभ प्रलम्ब कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतियों में रखा जायेगा।

- 9. उक्त तर्कों में राज्य सरकार के पूर्वानुमानों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि-
 - 1- शिक्षकों, भूमि तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्र वापस लिया जायेगा।

भवदीय,
 (जे०पी० जोशी)
 अनु सचिव।

संख्या: 435)/माध्यमिक/2002 तददिनोंक।

- 1- प्रतिबन्धों, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रेषित -
 - 1- निदेश, माध्यमिक एवं वैशिक, उत्तरांचल।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, मनीताल।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, उधम सिंह नगर।
 - 4- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मंदिर, खटीमा, उधम सिंह नगर।
 - 5- अनुभागीय पुस्तिका।

Phot copy attested

21/9/12
14-9-2012

आज्ञा से
 (जे०पी० जोशी)
 अनु सचिव।

21/9/12

12/9/2012